तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./715/2006/टोंक रामेश्वर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित** श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, ब्रीफ होल्डर, अधिवक्ता, प्रार्थी श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी **निर्णय** **दिनांक 30.01.2019** प्रार्थी द्वारा यह नजरसानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण संख्या 59/1998 में पारित निर्णय दिनांक 19–10–2005 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। हमने उभयपक्ष योग्य अधिवक्तागण की बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र के गुणावगुण पर सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में नजरसानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि रही है, जिससे पारित निर्णय पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि आक्षेपित निर्णय पारित करते समय माननीय न्यायालय स बात पर गौर नहीं यिका कि प्रार्थी ने विवादित भूमि के आवंटन के बाद आराजी पर कब्जा लेकर आराजी का विकास हेतु पोधशाला से वन पोध लेकर पोधरोपण किया, जिसके समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्चय रिकार्ड पर थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नही कर केवल मात्र सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया, जो रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि की श्रेणी में आता है। इस प्रकार माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय में प्रथम दृष्टया ही रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि साबित होने से उनके द्वारा पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./715/2006/टोंक रामेश्वर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे। योग्य उपराजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय में नजरसानी मीमों में उठाये गये मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और नजरसानी में ऐसा कोई बिन्दू नहीं है जिसमें कोई गलती ऐसी हो जिससे यह मामला नजरसानी के लिए बनाये गये नियमों के तहत विचारणीय हो। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि यदि पारित निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है। उनका कथन है कि अधिकतम् लीज अवधि 25 वर्ष होती है, लीज की अवधि पूर्ण होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी निष्प्रभावी होने से खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह निर्विवाद स्थिति है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र मात्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है – 1. निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे, या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./715/2006/टोंक रामेश्वर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2. ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या 3. अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो आधार हो सकते हैं किन्तु वे नजरसानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। माननीय एकलपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही गुणावगुण पर आलोच्य निर्णय पारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना संभव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। ए आई आर 1995 एस सी पेज 455, 2005 (1) आर आर टी 545 एस सी सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक श्रृंखला है, जिनमें यह अवधारित किया गया है कि नजरसानी का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर आर डी 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– *"(a) Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and it cannot be utilized as an instrument for re-writing the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even*	

when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.

(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same court. The scope permits only to correct the mistakes which are apparent on the face of the record. ***Hon'ble Supreme Court in Smt. Meera Bhanja Vs. Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455*** *clearly held that the error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The courts are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record.* ***In Ajit Kumar Rath Vs. Orissa State AIR 2000 SC 85, the Hon'ble Apex Court*** *has held that the power is not absolute and it is subject to restrictions indicated in Order 47 CPC. A review cannot be claimed as a remedy for a fresh hearing or for correction of an erroneous view taken earlier.*

(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. ***Hon'ble Supreme Court in State of Haryana Vs. Mohinder Singh 2003 (I) WLC (SC) page 499*** *considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here:- "Civil Procedure Code O.47 Rule 1- Scope- Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of- High Court in hearing review as if it was rehearing whole petition*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./715/2006/टोंक रामेश्वर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	overstepped its limits- Order of High Court set aside and original order restored." 2005(1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– *that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.* इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आरबीजे (12) पेज 290 में यह अभिनिर्धारित किया है कि– *"The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise."* यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रेल, 2004 में भी प्रतिपादित किया गया है, जो आरआरटी 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है। प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने पारित निर्णय में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि "error apparent on the face of record" नहीं बतला पाये है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./715/2006/टोंक रामेश्वर बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिससे इस नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकें। हमारी सुविचारित राय में प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त भी नियमों में लीज की अवधि अधिकतम् 25 वर्ष होती है, प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 1989 में विवादित आराजी निजी वन विकास हेतु लीज पर दी गयी थी, जिसकी लीज अवधि पूर्ण हो जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी निष्प्रभावी हो होती है। अतः पारित निर्णय में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र सारहीन / निष्प्रभावी होने से खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे तथा निर्णय की एक प्रति अपील पत्रावली संख्या 59/1998 बउनवानी रामेश्वर बनाम सरकार की पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	